हर इन्सान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 13 अंक : 2 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 फरवरी, 2022

समता आन्दोलन
हर इन्सान-एक समान

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

पदोन्नति पर सुप्रीम फैसला: नहीं बनाया जा सकता नया पैमाना

एससी-एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण के मानक नहीं बदलेंगे

''केन्द्र राज्य ही तय करें पदोन्नति में आरक्षण के मानदंड''

कहा- पहले उच्च पदों पर उचित प्रतिनिधित्व का सही आंकड़ा जुटाना जरूरी

नई दिल्ली। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस एल.नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और बी.आर. गवई की पीठ ने कहा कि प्रतिनिधित्व की कमी को निर्धारित को करने के लिए कोर्ट कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं कर सकता।

किसी भी सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण देने से पूर्व उच्च पदों पर उचित प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाना जरूरी है। यह काम राज्य करेंगे और उचित अवधि में मूल्यांकन किया जावेगा। यह अवधि क्या होगी? यह निर्णय केन्द्र सरकार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के शर्तों को कम करने से इन्कार करते हुये कहा है कि हम एम.नागराज मामले में 2006 और जरनैल सिंह मामले में 2018 में दिये गये संविधान पीठ के फैसलों के बाद कोई नया पैमाना नहीं बना सकते।

कोई भी राज्य पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले संख्यात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी आरक्षण की नीतियों की वैधता के मुख्य मुद्दे पर शीर्ष अदालत आगे सुनवाई करेगी। पीठ ने पदोन्नति में आरक्षण के मामले में अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल (एएसजी) बलवीर सिंह और विभिन्न राज्यों के अन्य वरिष्ठ वकीलों समेत सभी पक्षों को सुनने के बाद 26 अक्टूबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा

1. राज्य अनुसूचित जाति-जनजाति के प्रतिनिधित्व के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य है।
2. कैडर आधारित रिक्तियों के आधार पर आरक्षण पर डेटा एकत्र किया जाना चाहिये।
3. कैडर की बजाय समूहों के आधार पर डेटा इकट्ठा करना फैसले का उल्लंघन होगा।
4. राज्यों का आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से समीक्षा करनी चाहिये। केन्द्र समीक्षा की अवधि निर्धारित करे।

पिछला फैसला फिर नहीं खोला जायेगा

पीठ ने कहा कि वह एससी-एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर अपने पिछले फैसले को फिर से नहीं खोलेगी। यह राज्यों को तय करना है कि वे इसे कैसे लागू करने जा रहे है। पीठ ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था को लेकर नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2006 में आया था। अब तक उस पर अमल करने के लिए सरकार ने क्या किया?

-:केन्द्र की दलील:-

केन्द्र ने पीठ से कहा था कि पिचहत्तर साल बाद भी एससी-एसटी के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया है। शीर्ष अदालत को रिक्तियों को भरने के लिए ठोस आधार देना चाहिये।

केन्द्र ने 16 साल पुराना फैसला लागू नहीं किया, केस फिर कोर्ट पहुंच सकता है

केन्द्र और याची के पास क्या विकल्प है?

मामला पेचीदा है। इसमें केन्द्र और राज्य सरकारें शामिल हैं। केन्द्र ने 16 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के एम.नागराज मामले में दिये गये फैसले को अभी तक लागू नहीं किया है। इस मामले में कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण के 85वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा था। इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि सरकार फिर से सुनवाई की अपील करे। ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्ष को भी कोर्ट पहुंचना पड़ेगा।

मानदण्ड तय करने से बचने के लिए ही तो सरकार कोर्ट गई थी। दोबारा क्यों जायेगी?

सरकार के पास मौजूदा समय में सही और अधिकृत डेटा नहीं है। इसी वजह से पदोन्नति में आरक्षण के मामलों में कानूनी विवाद हो रहे है। मण्डल आयोगी की रिपोर्ट भी बहुत पुरानी जनगणना के आधार पर लागू की गई थी। राज्य और केन्द्र सरकार चाहे तो नौकरियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का डेटा तुरंत एकत्र कर सकती है। लेकिन, उसके बाद जातिगत जनगणना और क्रीमीलेयर के मुद्दे पर नये विवाद शुरू हो जायेंगे। भविष्य के इन्हीं विवादों से बचने के लिए ही केन्द्र और राज्य सरकारें कोर्ट गई थी।

राज्यों की क्या जिम्मेदारी होगी?

संविधान के आर्टिकल 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला केन्द्र और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी है। सरकारें इस मामले में नई अर्जी या फिर पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। अधिकांश राज्य इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पक्षकार थे। उन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाध्यकारी है। इसलिये केन्द्र सरकार फैसले पर अमल करने के लिए राज्यों को लिख सकती है।

मामला अगर फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जल्दी समाधान कैसे संभव है?

पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े सरकार के प्रशासनिक निर्णय, कानूनी बदलाव और संविधान में संशोधन के सभी मामले हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते है। ऐसे कई मामलों की सुनवाई संविधान पीठ करती है। मामला लम्बित रहने पर सरकारें एडहॉक तरीके से अमल कर सकती है।

क्या व्यवहारिक समस्या आ रही है?

पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े मामलों में तीन विवाद है। पहला - आरक्षण कितनी अवधि का हो? दूसरा- इसकी अधिकतम सीमा क्या हो? तीसरा- आरक्षण से प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित न हो। केन्द्र व राज्यों ने कोर्ट में दलील दी थी कि पदोन्नति का फैसला एसीआर के आधार पर होता है। क्रीमीलेयर को सही तरीके से लागू करने पर कैडर आधारित पदोन्नति में आरक्षण को लागू करने में परेशानियाँ है। इसलिए सरकार डेटा एकत्र और इसे सार्वजनिक करने से बच रही है।

आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले चार फैसले

1992- इन्द्रा साहनी केस - क्रीमीलेयर और आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत
2006- एम नागराज केस - प्रमोशन में मात्रात्मक आंकड़े जुटाने की शर्त
2018- जरनैल सिंह केस - नागराज केस पर पुनर्विचार का आग्रह खारीज
बी के पवित्र बनाम केन्द्र - पदोन्नति में आरक्षण पर तय शर्तों को नरम किया

अध्यक्ष की कलम से

हम सात्विक बोलना जानते है

साथियो।

लोकतंत्र का अदृश्य सिद्धान्त है कि ''कहने से अधिक सहने से चलता है''। विगत 75 सालों में कथित सवर्ण या कहे कि सामान्य वर्ग ने जाति आरक्षण के नाम पर जितना सहा है उससे बहुत कम ही कहा है। और यदि तथ्यों पर ध्यान दे तो कहने वालों में विधिसम्मत तथा संविधान की गरिमा में बोलने वाला एक मात्र संगठन समता आन्दोलन रहा है।

बेशक हमारे बोलने का अधिकांश हिस्सा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भीतर रहा है। लेकिन प्रशासन, नेता, विधानसभा, संसद भवन में जाकर जिम्मेदार लोगों को अपनी संविधानिम पीड़ा बताई और समझाई है। इससे भी आगे बढ़कर संसद मार्ग पर देश का सबसे बड़ा धरना देकर हम बोले, तो अमरूदों के बाग में किसी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अभिनन्दन करके हमने जो एलान किया उसकी गूंज राजनीति के गलियारों में अब तक है। फिर देश में नोटा के माध्यम संस्थागत रूप में भी हम ही बोले।

हमारे बोलने का ना केवल राजस्थान बल्कि अन्य प्रदेशों में भी असर हुआ। रेलवे, इनकम टैक्स विभागों में भी हमारे बोलने का परिणाम प्रत्यक्ष देखने को मिला। हमने बोलते समय शालीनता की सीमा को कभी नहीं लांघा।

हालांकि हमारी उपलब्धियाँ बड़ी है। लेकिन हमारा बोलने का सात्विक भाव अभी ठहरना नहीं चाहिये। भले ही आज जाति आरक्षण काफी हद तक विषैला नहीं रहा है लेकिन फिर भी अमृत भी नहीं बन पाया है। अत: हमारा कहना जारी रहेगा। बेशक जारी रहेगा क्योंकि हम कहना जानते है।

जय समता

सम्पादकीय

'जातिवाद' इतना सरल भी नहीं है

मीडिया के माध्यम यूपी, पंजाब, उत्तराखण्ड का चुनाव प्रचार यह समझने के लिए काफी है कि भारत देश को जातिमुक्त बनाने का कथन मात्र जनता को बहलाने और बरगलाने का तरीका भर है। 'सबका साथ सबका विकास' नारा कहने सुनने में जितना आकर्षक लगता है सच्चाई के धरातल पर प्रमाणित नहीं हो पाया है। बल्कि अब तो यह आभास होने लगा है कि दूसरे जुमलों की तरह जाति मुक्त समाज भी एक जुमला ही बन गया है।

सभी जानते है कि देश को जातिमुक्त बनाने के लिए एक दम शुरू में ही दस साल के लिए जातीय आरक्षण दिया गया था वहीं अब रक्तबीज बनकर देश को सता रहा है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने संभवत: ईमानदार प्रयास ही किये होंगे लेकिन या तो उनकी नीयत में खोट थी अथवा वे विषय को समझ ही नहीं पाये? या हो सकता है दोनों ही बातें एक साथ रही हो। कांग्रेस ने जितने रूप और चुनाव चिन्ह बदले है उससे तो यही प्रतीत होता है कि यह राष्ट्रीय पार्टी आज की तारीख में कथित कांग्रेस ही दिखाई देती है।

दूसरी तरफ भाजपा पार्टी को उम्र की दृष्टि से देखे तो वह कांग्रेस के सामने बालक ही है। ऊपर से उसके पास आजादी के संघर्ष की तपिस और चमक भी नहीं है। व्यवहार के स्थान पर सतही सिद्धान्तों और काल्पनिक आदर्शों के कारण बाहरी चमक-दमक के बावजूद भारत की जटिल जातीय व्यवस्था की समझ भाजपा को शायद ही किसी रूप में समझ आई हो।

कांग्रेस पर यह आरोप है कि उसने देश पर जाति आरक्षण न केवल थोपा बल्कि आगे कई दशक तक उसे बढाया भी। जबकि भाजपा पर यह आरोप जाता है कि उसने सत्ता पर कब्जा करने के लिए जातिवादियों को ना केवल गोद में खिलाया बल्कि बिगड़ेल बालक की तरह उनकी हर जायज नाजायज मांग को स्वीकार करने के लिए संविधान और बड़ी अदालतों की भी अनदेखी की। और जब जातिवाद भस्मासुर बनकर स्वयं भाजपा के पीछे दौड़ रहा है तो वह भी तुष्टिकरण के मार्ग पर चल निकली है।

असल में देखा जाए तो भारत से जातिवाद मिटाने का सपना शायद ही कभी पूरा किया जा सकता है। इस शक पर्याप्त कारण है। पहला और सबसे बड़ा तो ये कि भारत का 70 प्रतिशत हिस्सा गांवों में बसता है और वहां के डीएनए में जातिवाद रचा-बसा है। दूसरा कारण ये है कि आजादी के समय जातिवाद के नाम से पीड़ित जन मात्र 12-15 करोड़ था जो आज बढ़कर 100 करोड़ हो गया है। इससे स्पष्ट है कि जातिवाद को समता मूलक बनाने के प्रयास के रूप में जाति आरक्षण का प्रयोग पूरी तरह फेल हुआ है और पुनर्विचार की मांग करता है।

सबसे खास और बड़ा कारण ये है कि आज तक कोई विचारक और विद्वान नहीं बता सका कि जाति शब्द का जन्म कब, कहा, क्यों और कैसे हुआ। फिर उसे समाप्त कर देने की बात करना कोरी कल्पना है। फिर आजादी के 75 सालों बाद भी पिछड़ा, अगड़ा, दलित आदि की कोई वैज्ञानिक परिभाषा नहीं है। ना ही इस दिशा में कभी कोई शोध किया गया है। बल्कि बड़ी अदालतों के विरोधाभासी फैसलों ने समस्या को और अधिक जटिल ही बनाया है। जातकर्म, नवजात आदि अनेक शब्द बताते हैं कि जात इन्सान के साथ जन्म से ही जुड़ा विशेषण है। अत: इसे बदलने के लिए गहन शोध और निष्पक्ष सोच की आवश्यकता है। लेकिन अफसोस! वही तो नहीं है।

जय समता ।

- योगेश्वर झाड़सरिया

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पदोन्नति में एससी/एसटी के आरक्षण के न तो मानक बदलेंगे न पिछला फैसला खोला जायेगा

माननीय श्री पानाचंद जैन, पूर्व न्यायाधीश ने समता आन्दोलन समिति के अब तक के संघर्ष के न्यायिक फैसले की सारभूत समीक्षा की गई है और आरक्षण के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को सरल और सहज भाषा में विवचन किया गया है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिनांक 28.01.2022 में जो प्रमोशन में आरक्षण दिये जाने से संबंध रखता है यह स्पष्ट कर दिया कि एससी/एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण के मानक नहीं बदलेंगे। और न अपने पिछले निर्णय को ही फिर से खोलेंगे यानि पदोन्नति में आरक्षण के मानकों को ढील नहीं दी जायेगी। केन्द्रीय सरकार व राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बहस करते कहा कि पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने के बाबत गम्भीर मतभेद है, अत: इस विवाद का निदान किया जाना आवश्यक है। दिनांक 28.01.2022 का निर्णय जिस बैंच ने दिया उसके जज है, न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और बी.आर.गवई। बैंच ने बहस सुनने के बाद दिनांक 26 अक्टूबर को निर्णय रिजर्व किया था और कॉमन इश्यूज(मुद्दों) पर निर्णय दिया है, तथा सरकारी आरक्षण नितियों की वैद्यता के मुद्दे पर दिनांक 24.02.2022 को सुनवाई करेगी।

सन 1992 के इन्द्रा साहनी के केस के बाद अब तक हजारों केस देश की अदालतों में आरक्षण के बाबत चल रहे है। संवैधानिक संशोधन के बाद इस विषय में कई पैचीदे विवाद हो गये है।

दिनां 28.01.2022 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने चार अन्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर विचार किया है। वे निर्णय है- 1992 का इन्द्रा साहनी, 2006 एम. नागराज, 2018 जरनैल सिंह, बी.के.पवित्र के केसेज। 2018 का जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मीनारायण गुप्ता का पांच जजों की बैंच का है और न्यायालय को रेफरेन्स किया था उसका उत्तर है। जरनैल सिंह के केस में नागराज केस पर पुनर्विचार की मांग को ढुकराया गया है और करार दिया है कि क्रीमिलेयर के एससी/एसटी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। बी.के. पवित्र बनाम केन्द्र के केस में मानकों को इकठ्ठा करना ग्रुपस के आधार पर माना गया है जबकि यह कानूनी बिन्दू जरनैल सिंह के केस के निर्णय के विपरीत है।

जस्टिस एल.नागेश्वर राव जो बैंच के प्रेसाइडिंग जज रह है उन्होंने निर्णय दिनांक 28.01.2022 को सुनाया था, उसके अनुसार बैंच ने बहस को छ: बिन्दुओं में विभाजित किया है। प्रथम यार्ड स्टिक, जरनैल सिंह व नागराज के केसेज के

> आरक्षण के चक्रव्यूह से निकलना आवश्यक है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्य पीठ ने मराठा आरक्षण पर सुनवाई करते हुये सरकार से पूछा था ''कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण को जारी रखना चाहते है''। क्या ही अच्छा हो इस केस में अनुच्छेद 334 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी साथ में सुना जावे?

अनुसार न्यायालय ने माना है कि कोर्ट यार्ड स्टिक निर्धारित नहीं कर सकती। राज्य सरकारें भी एससी/एसटी कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिये बाध्य है। मात्रात्मक डेटा पूरी क्लास, क्लास/ग्रुप का न होकर इसका संबंध पोस्ट की ग्रेड/केटेगरी जिसके हेतु पदोन्नति चाही है, होनी चाहिये। कैडर आधारित नियुक्तियों के आधार पर आरक्षण पर डेटा इकट्ठा होना चाहिए।

जैसा ऊपर लिखा है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जरनैल सिंह का केस 2018 में निर्णित किया था। इस केस में रेफरेन्स का उत्तर दिया था। सन् 2006 में एम.नागराज के केस में संविधान पीठ ने निर्णय दिया था कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन देना चाहे तो उसे पिछड़ों की श्रेणी के हेतु संख्यात्मक आंकड़े इकट्ठे करना अनिवार्य है। साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व राज्य की सेवा में है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत एससी/एसटी के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाये रखने की संगति पर भी ध्यान रखा जावेगा। नागराज के केस की समीक्षा करने पर यह शंका अभिव्यक्त की गई कि प्रमोशन देने में पिछडेपन व अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े इकट्ठे करने की शर्त उचित प्रतीत नहीं होती और इस पर पुनर्विचार किया जाना अपेक्षित है। इस हेतु प्रकरण पांच जजों की पीठ को निर्णयार्थ नवम्बर 2017 में रेफर किया गया कि संविधान पीठ नागराज के केस को पुनर्विचार के योग्य मानती है तो उसे संविधान पीठ को निर्णयार्थ भेजे। इसका सीधा यह अभिप्राय था कि संविधान पीठ को यह निर्णय करना था कि नागराज के केस पर पुनर्विचार होना चाहिये या नहीं।

संविधान पीठ जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे ने दिनांक 26.08.2018 को निर्णय दिया कि नागराज के केस में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमोशन में आरक्षण का प्रश्न था उसे बड़ी पीठ को पुनर्विचार हेतु नहीं भेजा जावेगा। न्यायालय ने सर्वसम्मति से दिनांक 26.09.2018 को निर्णय दिया उसका सार था कि नागराज के केस पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। यह भी माना कि पिछड़ेपन के संबंध में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पिछडेपन के संख्यात्मक आंकडे राज्य सरकार को इकट्ठे करने होंगे। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि एससी/एसटी पर क्रीमिलेयर टेस्ट लागू होता है और इस बात पर कोई विवाद नहीं है अत: पुनर्विचार आवश्यक नहीं है। यह राज्य सरकार पर ही छोड दिया कि केडर आधारित रिक्तियों के आधार पर डेटा इकट्ठा करना चाहिये, केडर के बजाय समूहों के आधार पर मानना उचित व वैध नहीं है। उपरोक्त पृष्ठभूमि के संदर्भ में यदि दिनांक 28.01.2022 के निर्णय की समीक्षा समता आन्दोलन समिति व अन्य ने की है जिस पर लेखक भी सहमत है। उनका सार इस प्रकार है:-

एम.नागराज और जरनैल सिंह के फैसलों के अनुसार ही पदोन्नति में आरक्षण प्रभावशील होगा।

प्रतिनिधित्व की पर्याप्ता की सीमा का निर्धारण संबंधित सरकारें करेंगी।

प्रतिनिधित्व की पर्याप्ता का आंकलन हेतु सभी सरकारें निश्चित समय सीमा तय कर नियमित रूप से करगी।

प्रतिनिधित्व का आंकलन सेवारत कुल कर्मियों के आधार पर नहीं होगा, बल्कि जिस पद पर पदोन्नति होना है, उस पद पर प्रतिनिधित्व की पर्याप्ता देखी जावेगी।

(शेष पृष्ठ- 4 पर पढे पानाचंद जैन)

पौराणिक कथन : 'बाणलिंग'

नदी में बहकर आया पाषाण लिंग, जिसे 3 से 5 बार तौलने पर हर बार अलग भार आता है।

ऐसे तैसों से क्या कहना,
हर जन है भारत का गहना।
जात परम है धर्म नरम है-
सब नदियों का मिलकर बहना।।

कविता

''पथरा गये भाव''

मानव वाहिकाओं में बहता रक्त
होता है हमेशा लाल
रहता है हरदम लाल
जात-पॉत धर्म सम्प्रदाय
सबसे अलग और अछूता
जीवन को जीता
परम पुनीता
सदियों का साक्षी
इन दिनों दीखता है
बदला-बदला सा
गदला-गदला सा
प्राणों का वाहक
ढोने को मजबूर
जात का जहर।
बल्कि इससे भी आगे
कभी-कभी शर्मिन्दा
कर देता है
बिच्छु के सफेद-सफेद
मातृहन्ता रक्त को भी।
युगों की दहलीज पार कर
कलियुग में
मानव और मानवता
सहज ही सनातनता
बदल डाले जा रहे हैं
जात और जातीयता में
बरगदों की जड़ों में
डाला जा रहा मठ्ठा
ताकि पनप सके
नागफनी और कैर
फलित हो हर तरफ
बैर बैर और बैर।
वे पथरा गये हैं
जिनकी रगों में
अभी भी दौड़ता है
लाल-लाल रक्त
कुछ नहीं बल्कि
बहुत कुछ बदल डाला गया है
आजाद देश के दास लोगों द्वारा
ठगा सा खड़ा है
मंदिर, चर्च मस्जिद, गुरूद्वारा..... ??

– नीलम शेखावत –

देश और राज्यों की स्थिति

गतांग से आगे:

देश और राज्यों की स्थिति

बंगलौर जलापूर्ति एवं सीवर बोर्ड में पहले से ही 80 प्रतिशत मुख्य अभियंता अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं। अगले वर्ष तक इनकी संख्या 100 प्रतिशत हो जाएगी।

बोर्ड के अधिकारियों ने भी मुझे एक सारणी भेजी थी। सामान्य श्रेणी के अभियंताओं जिन्होंने वर्ष 1971 से 1974 के बीच सेवा शुरू की थी-में से अभियंता बी.पी.के. कार्यपालक अभियंता के पद पर पहुँचने से पहले ही सेवा निवृत हो गया; पी.जे.एस.एम., बी.जी.एस.एस., एस.एस. और एस.आर.आर.के. बीस वर्षों की सेवा के बाद वर्ष 2002 में इस पद तक पहुँच सके। दूसरी ओर, अभियंता टी.बी. और एस.एस.बी-जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं-इन अभियंता के आठ वर्ष बाद सेवा शुरू करने के बावजूद वर्ष 1997 तक कार्यपालक अभियंता बन गए, यानी सामान्य श्रेणी के अपने सहकर्मियों से पाँच वर्ष पहले । इतना ही नहीं, ये दोनों अभियंता वर्ष 2002 तक अभियंता अधीक्षक के पद पर भी पहुँच गए। और फिर 2005 तक मुख्य अभियंता भी कर्नाटक पांवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के अधिकारियों द्वारा भेजी गई सूची भी कुछ ऐसी ही थी। भरती, पदोन्नति-दोनों ही स्तरों पर दिए जानेवाले आरक्षण और रोस्टर सिस्टम के कारण 28 प्रतिशत मुख्य अभियंता और 28 प्रतिशत ही अभियंता अधीक्षक पहले से ही आरक्षण श्रेणी की जातियों के हैं। वर्ष 2014 तक शत-प्रतिशत मुख्य अभियंता और 61 प्रतिशत अभियंता अधीक्षक इन्हीं जातियों के होंगे।

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा भेजों गई सूची के अनुसार, वर्ष 1979 और 1984 के बीच सेवा में भरती हुए सामान्य श्रेणी के अधिकारियों में से एक भी अधिकारी की अभी तक पदोन्नति नहीं मिली है। वे सहायक अभियंता के पद पर ही बने हुए है। दूसरी ओर, आरक्षण कोटे के अंतर्गत पद पर नियुक्त अभियंताओं जो वर्ष 1987 में सेवा मे आए थे-में से सभी वर्ष 2001 और 2002 तक कार्यपालक अभियंता बन गए। उनमें से चार तो वर्ष 2005 तक अभियंता अधीक्षक भी बन गए। इन चार और दो अन्य अभियंताओं को वर्ष 2007 और 2009 के बीच मुख्य अभियंता पद के लिए बुक कर लिया गया है। इनमें से एक वर्ष 2009 में और तीन अन्य वर्ष 2010 में इंजीनियर-इन-चीफ बनने वाले हैं। इस प्रकार वर्ष 2010 और 2030 के बीच इंजीनियर-इन-चीफ मुख्य अभियंता और अभियंता अधीक्षक के सभी पदों पर आरक्षण श्रेणी की जातियों के लोगों का कब्जा हो जाएगा इंजीनियर-इन-चीफ सामान्य श्रेणी में कनिष्ठतम कार्यपालक अभियंता से कनिष्ठ होगा।

''आरक्षण और उससे संबंधित नियमों को इस हद तक आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए कि उससे उलटा भेदभाव शुरू हो जाए ''उन्हें '' इस हद तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए कि वे समानता के मौलिक अधिकार संबंधी सिद्धांत के लिए उल्लंघनकारी बन जाएँ '' कि '' सकारात्मक कदम वहीं रूक जाते हैं, जहाँ उलटा भेदभाव शुरू होता है '' कि ''संवैधानिक प्रावधानों का अर्थ-निरूपण कुछ इस उद्देश्य से करना चाहिए कि उससे आरक्षण श्रेणी के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों में प्रतियोगिता की भावना का विकास हो।

राजस्थान और पंजाब राज्यों से भी इसी तरह की सूचियाँ मिली थीं । राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ऐसे लोग-जो उम्र और योग्यता में इतने कम थे कि डॉक्टरों-आर.पी.जी., जी.सी.जे., ए.एस., आर.पी.एस.टी., बी.के.जे., ए.एस और इसी तरह के कई अन्य से शिक्षा लेने लायक थे-अब इन डॉक्टरों के ऊपर काम कर रहे थे।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को ही लें

आरक्षण की व्यवस्था और रोस्टर सिस्टम के कारण शैक्षिक संस्थाओं एवं सेवाओं की गुणवता कितनी बुरी तरह प्रभावित हुई है, उसकी एक झलक तो हमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से ही मिल जाएगी।

एक के बाद एक ऐसे अनेक मामले और निर्णय हमारे सामने आए हैं, जो संवैधानिक प्रावधान को लागू करने के नाम पर किए जटिल नियमनों और आरक्षण के विस्तार के कारण उत्पन्न विषमताओं की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं।

अजित सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में और इस तरह के अन्य मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं ही टिप्पणी की है कि ''आरक्षण और उससे संबंधित नियमों को इस हद तक आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए कि उससे उलटा भेदभाव शुरू हो जाए ''उन्हें '' इस हद तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए कि वे समानता के मौलिक अधिकार संबंधी सिद्धांत के लिए उल्लंघनकारी बन जाएँ '' कि '' सकारात्मक कदम वहीं रूक जाते हैं, जहाँ उलटा भेदभाव शुरू होता है '' कि ''संवैधानिक प्रावधानों का अर्थ-निरूपण कुछ इस उद्देश्य से करना चाहिए कि उससे आरक्षण श्रेणी के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों में प्रतियोगिता की भावना का विकास हो। ''रोस्टर सिस्टम के परिणामों की ओर संकेत करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी-

ऐसे मामले में -जिसमें आरक्षण श्रेणी के एक अभ्यर्थी को अपनी योग्यता के बल पर नहीं, बल्कि आरक्षित पद के लिए प्रतियोगिता में बैठता है-आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए श्रेणी-2 के विभिन्न रोस्टर स्तरों पर पदोन्नति हेतु श्रेणी-1 पर रोस्टर लागू किया जाता है तो ऐसे में भले ही वह अभ्यर्थी श्रेष्ठता सूची में अंतिम स्थान पर हो, लेकिन अन्य सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा किए बिना ही वह श्रेणी-2 पर पहुँच जाता है और इस प्रकार वह कई स्थान ऊपर पहुँच जाता है। 100 स्थानों वाले किसी रोस्टर में, यदि रोस्टर स्तर 8,16,24 आदि के रूप में हैं तो श्रेष्ठता सूची में अंतिम स्थान पर रहनेवाला आरक्षण श्रेणी का अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के कई अभ्यर्थियों से आगे निकलता हुआ श्रेणी-2 पर पदोन्नत हो जाता हैं। रोस्टर आधारित पदोन्नति का यही परिणाम होता है। ये परिणाम किस तरह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण के संबंध में रखी गई शर्तों से मेल खाते हैं-उलटा भेदभाव नहीं होना चाहिए, समानता के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए; ''आरक्षण श्रेणी के कर्मचारियों सहित अन्य सभी कर्मचारियों में प्रतियोगिता की योजना का विकास हो''?

इस प्रकार के परिणाम को स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने भी दु:खद स्थिति बताया है। पूर्वोक्त निर्णय में ही थोड़ा आगे लिखा है-

उसके बाद हम उस दु:खद स्थिति पर आते हैं, जो हमारे सामने रखे गए मामलों में दिखाई देती हैं। वीरपाल मामले मे स्थिति ऐसी दिखाई देती है, जिसमें कुल 11 रिक्तियों के लिए 33 अभ्यर्थियों पर विचार किया जाना था और ये सभी अभ्यर्थी अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी के थे। हमारे सामने सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भी कुछ इसी तरह के तथ्य पेश किए हैं। तथ्यात्मक स्थिति पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन दोनों ही पक्षों की ओर से कुछ-न-कुछ तर्क दिए जा रहे हैं, यद्यपि कोई भी तर्क वैज्ञानिक आधार पर प्रमाण-सिद्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि-(1) अजित सिंह मामले में 30.9.94 को प्रथम श्रेणी अधीक्षक के रूप में कार्य कर रहे कुल 107 अधिकारियों में से पहले 24 अधिकारी अनुसूचित जाति श्रेणी के है। अवर सचिव के रूप में कार्य कर रहे कुल 19 अधिकारियों में से पहले 11 अधिकारी अनुसूचित जाति के है। उपसचिव की श्रेणी में कार्य कर रहे 4 अधिकारियों में से 2 अनुसूचित जाति के है। इस प्रकार 30.9.94 को स्थिति यह थी कि उपर्युक्त श्रेणियों में प्रतिनिधित्व का प्रतिशत क्रमश: 22.5, 54 और 67 था। यदि वरिष्ठता की गणना आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों के अनुसार की जाए तो स्थिति यह होगी कि उपसचिव के 100 प्रतिशत पद, अवर सचिव के 100 प्रतिशत पद और अधीक्षक श्रेणी के 53 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के अधीन होंगे।

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

समता आन्दोलन की जयपुर और अजमेर इकाईयों ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन

जयपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौपते समता पदाधिकारी

जयपुर। समता आंदोलन समिति द्वारा प्रदेश अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा के निर्देशानुसार मंगलवार को तीन सूत्रीय माँगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा ।

ज्ञापन में तीन सूत्रीय मागें रखी गई जिसमें प्रमुख रूप से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने की पुरजोर माँग की। दूसरी माँग अजा/अजजा ने नवशोषित वर्ग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्रीमीलेयर को बाहर किए जाने की माँग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि अजा/अजजा में आरक्षण का अधिकतर लाभ समृद्ध हो चुके लोग ही ले रहे हैं, जबकि जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है वो आर्थिक कमजोर स्थिति के चलते आज भी शोषित ही बना हुआ है।

तीन सूत्रीय मांगे

- पदोन्नति में जातिगत आरक्षण की अन्यायपूर्ण, अराजक और दमनकारी व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा प्रदत एम.नागराज बनाम भारत सरकार 2006 के निर्णय की पालना करते हुये तत्काल समाप्त किया जाए।
- अजा/अजजा में गरीब वंचित और पिछड़ा वर्ग लोगों को किसी वर्ग में नव शोषित वर्ग से सुरक्षा दिलवाने के लिए क्रिमिलेयर वर्ग को बाहर करने हेतु अजा/अजजा वर्ग से क्रिमिलेयर को बाहर करने की अधिसूचना तत्काल जारी की जाये।
- ओबीसी वर्ग के आरक्षण को असली गरीब, वंचित पिछड़े लोगों तक पहुंचाने के लिए आर्थिक कमजोर वर्ग के अनिवार्य 5 मानदण्डों को पूरे देश के ओबीसी में तत्काल लागू किया जाए।

वास्तविकता में उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है

इसके अलावा तीसरी माँग में ओबीसी वर्ग में आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए ईडब्लयूएस की भाँति अनिवार्य पाँच मापदंडों को सम्मिलित कर आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए ईडब्ल्यूएस के लागू किए गये न्याय संगत पाँच मापदंड ओबीसी में लागू किए जाने की माँग की है।

समता आंदोलन समिति के संभागीय अध्यक्ष ऋषिराज राठौड एवं अन्य सम्मानीय साथियों रामनिरंजन गौड़, महामंत्री; दीपक सिंघल, जयपुर जिलाध्यक्ष; एस.एस.सेवदा, अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ; बाबूलाल विजय, अध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ; गिरधारी सिंह शेखावत, प्रवक्ता; रामप्रकाश सारस्वत, महासचिव, शिक्षा सेवा; मोहनलाल माहेश्वरी; भौरीलाल, अभिभाषक; सुरेशचन्द्र शर्मा; कुंजबिहारी सिंघल; ओपी अवस्थी आदि की अगुवाई में ज्ञापन सौंपे गये।

अजमेर कलेक्टर को ज्ञापन सौपने जाते समता पदाधिकारी

अजमेर। समता आन्दोलन समिति ने कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। अध्यक्ष के.जी. मोदानी ने बताया कि पदोन्नति में जाति आधारित आरक्षण के चलते सुयोग्य लोक सेवकों को नुकसान होने के कारण बंद करने, क्रीमीलेयर वर्ग को बाहर करने के लिए अधिसूचना तत्काल जारी करने तथा ओबीसी वर्ग के आरक्षण का लाभ पिछड़े लोगों तक पहुंचाने की मांग की गई।

समता ज्योति के स्वामित्व तथा अन्य जानकारी से संबंधित विवरण

फार्म-4

(नियम 8 देखिए)

1. प्रकाशन स्थान	:	68 भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर ।
2. प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
3. मुद्रक का नाम	:	समता आन्दोलन समिति
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	68 भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर ।
4. प्रकाशक का नाम	:	समता आन्दोलन समिति
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	68 भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर ।
5. सम्पादक का नाम	:	योगेश्वर शर्मा
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	जी-3, संगम रेजिडेन्सी, चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर ।
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो पत्रिका के स्वामी है तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार है।	:	समता आन्दोलन समिति 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर।

मैं पाराशर नारायण शर्मा, अध्यक्ष समता आन्दोलन समिति एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सत्य है।

फरवरी, 2022 पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, समता आन्दोलन समिति

हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत कोटा अभी जारी रहेगा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में रहने वालों को प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण के प्रावधान वाले कानून पर अंतरिम रोक लगाने वाला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश खारीज कर दिया। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट को चार हफ्ते में मामले का फैसला करने को कहा है। जस्टिस एल.नागेश्वर राव और जस्टिस पी.एस.नरसिम्हा की पीठ ने हरियाणा सरकार को नियोक्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाही नहीं करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा हमारा मामले के गुण-दोष से निपटने का इरादा नहीं है। हम हाईकोर्ट से चार सप्ताह के भीतर निर्णय करने का अनुरोध करते है। पक्षकारों को स्थगन का अनुरोध नहीं करने और सुनवाई की तारीख तय करने के लिए अदालत के सामने मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के जिस आदेश को चुनौती दी गई है उसे खारीज किया जाता है, क्योंकि कोर्ट ने विधेयक पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिये है। हरियाण सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा था कि हाईकोर्ट ने सिर्फ डेढ मिनट की सुनवाई में अंतरिम रोक का आदेश जारी कर दिया। राज्य के वकील को भी नहीं सुना गया। यह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है।

देश के चार करोड़ प्रावासी मजदूरों को लेकर चिंता

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश में प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाया और कहा कि हम चिंतित है। भारत में चार करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूर है हमें उनके जीवन यापन की चिंता है।

पानाचंद जैन

पृष्ठ- 2 का शेष भाग :-

एम. नागराज के निर्णय के पूर्व की गई पदोन्नति अप्रभावी रहेगी। पीठ ने कहा कि वह एससी/एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने के मामले में अपने पिछले फैसले को फिर से नहीं खोलेगी। यह राज्यों को तय करना है कि वे इसे कैसे लागू करना चाहते है। सुप्रीम कोर्ट का नागराज का फैसला 2006 का है अत: कोर्ट ने पूछा अब तक उस पर अमल के लिए क्या किया?

दिनांक 28.01.2022 का निर्णय कुछ विषयों व प्रकरण पर अभी शेष है। 24 फरवरी 2022 को सुनवाई होगी व प्रकरण वार निर्णय देगी।

पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अंतिम निर्णय होने तक यथास्थिति बनी रहेगी।

पीठ ने पदोन्नति में आरक्षण के लिए तय शर्तों को नरम नहीं किया है। प्रतिनिधित्व की अपर्याप्ता का आंकलन और मात्रात्मक डेटा का संग्रह अनिवार्य है।

कोर्ट प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए मापदण्ड निर्धारित नहीं कर सकती।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह एससी/एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण के मानक नहीं बदलेगी और न कोई नया पैमान ही बनाया जा सकता है।

राज्य सरकारों के एससी/एसटी कर्मियों की पदोन्नति देते समय प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का आंकलन करना अनिवार्य है। तथा नियुक्ति करने में उनके दावों का प्रशासन की दक्षता बनाये रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जावेगा। संविधान के भाग 16 में व अनुच्छेद 330 में लोकसभा तथा अनुच्छेद 332 में विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था की है। अनुच्छेद 334 में यह स्पष्ट कर दिया है कि स्थानों के ये आरक्षण संविधान के प्रारम्भ से 10 वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे। अंग्रेजी में इस संबंध में इन शब्दों में " shall cease to have effect on the expiration of a period of 10 years from the commencement of the constitution" यह प्रावधान Sun Set Laws के अनुसार है और Mandatory है। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, यह तो संविधान के Basic Structure का भाग है, किन्तु प्रत्येक 10 वर्ष के बाद इस अवधि को बढ़ा दिया जाता है और 10 वर्ष की अवधि को 80 वर्ष कर दिया गया है। यह संशोधन अवैध व असंवैधानिक है। इसे चुनौति देने वाली याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय व राज्यों के उच्च न्यायालयों में जेरकार है। यह संशोधन अनुच्छेद 14 के भी विरूद्ध है, यानि समानता के मूल अधिकार के विरूद्ध है तथा मतदाता के संवैधानिक अधिकार पर विपरीत प्रभाव डालता है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस केस में 24.02.2022 से सुनवाई करते समय उपरोक्त प्रावधानों की वैधानिकता पर भी विचार करना चाहिये। आरक्षण के चक्रव्यूह से निकलना आवश्यक है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्य पीठ ने मराठा आरक्षण पर सुनवाई करते हुये सरकार से पूछा था '' कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण को जारी रखना चाहते है''। क्या ही अच्छा हो इस केस में अनुच्छेद 334 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी साथ में सुना जावे? -राष्ट्रदूत से आभार

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in